राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या – 549/2015/उदयपुर

मैसर्स स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल लिमिटेड जरिये
अधिकृत प्रतिनिधि/वरिष्ठ प्रबन्धक, 4 मीरा मार्ग, उदयपुर। .....प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये उपंपजीयक प्रथम,
जिलाधीश कार्यालय, उदयपुर। .....अप्रार्थी

एकलपीठ

श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित :

श्री अनिल कुमार शर्मा एंव अभिषेक शर्मा
अभिभाषक ..... प्रार्थी की ओर से
श्री जमील जई
उपराजकीय अभिभाषक ..... अप्रार्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 20/02/2017

निर्णय

1. यह निगरानी प्रार्थी द्वारा कलक्टर (मुद्रांक) उदयपुर (जिसे आगे 'कलक्टर (मुद्रांक)' कहा जायेगा) के प्रकरण संख्या 149/2008 में पारित आदेश दिनांक 28.02.2012 के विरूद्व राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 (जिसे आगे 'मुद्रांक अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 65 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने उपपंजीयक प्रथम, जिलाधीश कार्यालय द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स को स्वीकार किया है।

   प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग अजमेर के पत्र क्रमांक एफ.6(655)(17) सी0ए0जी0/समीक्षा/1108/ दिनांक 04.08.8 द्वारा उपमहानिरीक्षक पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक) वृत उदयपुर को राजस्थान राज्य खान एंव खनिज निगम लि. उदयपुर द्वारा क्रय चल सम्पत्ति एवं लिये गये ऋण पर देय मुद्रांक की वसूली के संबंध में प्रकरण दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही हेतु लिखा गया। तत्पश्चात् पुनः पत्र क्रमांक एफ.6(740) सी0ए0जी0/पी0ए0सी0/विविध/09–10/326–330 दिनांक 03.03.10 के द्वारा उपमहानिरीक्षक पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक) वृत उदयपुर को सी0ए0जी0

लगातार.....2

प्रतिवेदन 2006–07 में लिये गये आक्षेप कि चल सम्पत्ति के हस्तान्तरण पर मुद्रांक कर की वसूली नहीं की गयी है के संबंध में वसूली/निस्तारण की कार्यवाही हेतु लिखा। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दर्ज कर अपने निगरानीधीन निर्णय दिनांक 28.02.12 द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध 8,55,500/– रू. की राशि वसूल करने के आदेश दिये गये है जिसके विरूद्व यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

2. निगरानी दर्ज की जाकर रिकॉर्ड व अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से उपराजकीय अभिभाषक उपस्थित आये।
3. बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष सुनी गई।
4. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी का बिना नोटिस जारी किये व बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये निगरानीधीन निर्णय पारित किया है जो कि विधिसम्मत नहीं है। प्रार्थी के विरूद्व आक्षेप स्पष्ट नहीं है। प्रार्थी ने जो ऋण प्राप्त किया था उस पर निमयानुसार स्टाम्प ड्यूटी अदा की गई है। प्रार्थी ने जो राशि ऑन डिमाण्ड प्रोमेजरी नोट के आधार पर ली है उस पर कोई स्टाम्प ड्यूटी देय नहीं है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावें।
5. विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत हैं। अतः निगरानी खारिज की जावें।
6. हमनें पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :–
7. निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र सशपथ होने, प्रार्थना पत्र में अंकित कारण कि उन्हे निर्णय की जानकारी कुर्की वांरट से हुई है संतोषजनक होने, निर्णय गुणावगुण के आधार पर श्रेयस्कर होने के दृष्टिगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निगरानी अन्दर मियाद मानी जाती है।
8. विचाराधीन प्रकरण में निगरानीकर्ता का निगरानी में मुख्य आधार यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी का बिना नोटिस जारी किये व बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये निगरानीधीन निर्णय पारित किया है जो कि विधिसम्मत नहीं है।

लगातार.....3

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अनुसार प्रकरण दिनांक 11.08.08 को दर्ज किया गया है व प्रथम आदेशिका दिनांक 29.06.10 की है। दिनांक 29.06.10 को अप्रार्थी (विचाराधीन निगरानी में प्रार्थी) को अनुपस्थित बताया है। तत्पश्चात् दिनांक 29.07.10, 23.08.10, 21.09.10 को अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ का उल्लेख है। दिनांक 21.10.10 की आदेशिका में यह उल्लेख है कि "अप्रार्थी की ओर से उनके प्रतिनिधि उपस्थित। अप्रार्थी की ओर से दिनांक 19.10.10 को अधिसूचना की प्रति पेश की गई, जिसे संलग्न पत्रावली किया गया।" इसके पश्चात् समस्त आदेशिकाओं में अप्रार्थी को अनुपस्थित बताया है। पत्रावली में प्रार्थी को नोटिस तामील की प्रति उपलब्ध नहीं है न ही आदेशिकाओं में नोटिस जारी करने, तामील होने व प्रार्थी के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही किये जाने का कोई उल्लेख है। दिनांक 21.10.10 को प्रार्थी के प्रतिनिधि के उपस्थित होने के संबंध में उल्लेख है परन्तु प्रतिनिधि का नाम व पदनाम का विवरण नहीं है व न ही प्रतिनिधि के हस्ताक्षर है व न ही प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निगरानीधीन निर्णय में यह कथन किया है कि अप्रार्थीण ने अपने जवाब में मात्र यह कथन किया है कि उक्त मुद्रांक कर देय नहीं बनते है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में कोई जबाब उपलब्ध नहीं है। पत्रावली के पृष्ठ सं. 13 पर प्रार्थी का प्रत्युत्तर दिनांक 08.07.07 का है जो कि रेफरेन्स दर्ज करने की तिथि दिनांक 11.08.08 से पूर्व का है। उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी को सुनवाई का नियमानुसार एवं विधिसम्मत अवसर प्रदान नहीं किया गया है जो कि न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्त के विरूद्व है। इस दृष्टिकोण से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत नहीं है। साथ ही चूंकि प्रकरण में देय मुद्रांक कर के संबंध में गुणावगुण एवं तथ्यों के आधार पर निर्णय होना शेष है, अतः प्रकरण प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

9. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय तथ्यों के विपरीत एवं विधिसम्मत नहीं होने के कारण निगरानी आंशिक स्वीकार की जाकर प्रकरण में निगरानीधीन निर्णय दिनांक 28.02.2012 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण में प्रार्थी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुये नियमानुसार एवं विधिसम्मत निर्णय पुनः पारित करें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 20.03.17 को पेश हो।

10. निर्णय सुनाया गया।

(नत्थूराम)
सदस्य